

र भूमि बिलानाम दर्ज किया जाना उचित है। गत भू-प्रबन्ध के आराजी नं 504/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा का नवीन भू-प्रबन्ध के आराजी नं 911 रकबा 0.52 हे. व आराजी नं 912 रकबा 0.22 हे. किता 02 कुल रकबा 0.74 हे. बने है जो सही होकर भू-प्रबन्ध द्वारा नक्शा तरमीम सही की गई।

वक्त भू-प्रबन्ध मौके पर कुआ नही होने से कुआ नही दर्शाया गया है। पुराने भू-प्रबन्ध के आराजी नं 504 मे भी कही कुआ (किस्म) दर्ज नही है।

गत भू-प्रबन्ध के नक्शे मे वादी की भूमि आराजी नं 504/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा का तरमीम नही होने से वर्तमान भू-प्रबन्ध मे वादी के कब्जा काश्त अनुसार सही नक्शा आ.न. 911 व 912 किता 02 रकबा 0.74 हे. दर्शाया गया है। वर्तमान भू-प्रबन्ध हुये लगभग 40 वर्ष हो चुके एवं वर्तमान मे यही रिकार्ड प्रभावी है। वादी द्वारा लगभग 40 वर्ष बाद इन्द्राज दुरस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया है। वादी द्वारा भूमि क्रय की गई जिसकी प्रति पेश नही की गई। वादी द्वारा उक्त भूमि राज.टिनेन्सी एक्ट की धारा 42 का उल्लघन कर खरीदी गई अतः वादी की उक्त भूमि बिलानाम दर्ज की जाव। प्रार्थना पत्र सारहीन होकर खारीज योग्य है। प्रकरण निरस्त फरमाया जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली नियत दिनांक को न्यायालय के समक्ष बहस हेतू पेश हुई। बहस उभय पक्षकारान की सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र मे वर्णित कथनो को दोहराते हुए ग्राम गिलुण्ड के नवीन सेटलमेंट के आराजी नं 911 व 912 को पुराने सेटलमेंट के आराजी नं 504/1 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा के पुराने सेटलमेंट के नक्शे अनुसार आराजी नं 505 किस्म रास्ता तक नवीन नक्शे मे संशोधन कर इन्द्राज दुरुस्ती की जाने का निवेदन किया एवं इस कृषि आराजीयात मे वादी का स्थित कुआ को भी राजस्व नक्शे मे दर्शाया जावे। इसके विपरित पैरोकार सरकार ने वादी के वाद पत्र का खण्डन करते हुए अपने जवाब दावे मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया वादी द्वारा विवादित भूमि राज.टिनेन्सी एक्ट की धारा 42 का उल्लघन कर खरीदी गई अतः वादी की उक्त भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कर वादी का वाद पत्र सारहीन होने से खारीज फरमाया जाने का अनुरोध किया।



(दिनेश)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
दियोगढ़ (उत्तर.)

पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता उभय पक्षकारान की हस पर चिन्तन व मनन किया। पत्रावली मे सलंगन दस्तावेजात का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया तो जाहिर हुआ है कि पुराने भू-प्रबन्ध के समय आराजी नं 504 मे कुआ (किस्म) दर्ज नही था। साबिक नक्शे में कुआ दर्ज नही है । जिसके कारण वर्तमान नक्शे मे कुआ दर्ज नही हो सकता है।

गत भू-प्रबन्ध के आराजी नं 504/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा का नवीन भू-प्रबन्ध के आराजी नं 911 रकबा 0.52 हे. व आराजी नं 912 रकबा 0.22 हे. किता 02 कुल रकबा 0.74 हे. बने है जो सही होकर भु-प्रबन्ध द्वारा नक्शा तरमीम सही की गई। गत नक्शे के मुकाबले हाल नक्शा सही है जो पैरोकार सरकार के जवाब से भी पुष्टि होती है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी का वाद पत्र प्रमाणित नही पाया जाने से खारीज किया जाता है।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(दिनांक)
सुनवाई के लिए एवं
उपरोक्त उद्देश्य के
लिए (सब.)

32 किस्म रास्ता तक नही दर्शाया गया है। इस प्रकार पुराने सेटलमेंट के नक्शे के मुताबिक नवीन सेटलमेंट के नक्शे में आराजी नं 911 व 912 को नही दर्शाया गया है। इसलिये पुराने सेटलमेंट के नक्शे के अनुसार नवीन सेटलमेंट के नक्शे में सुधार कर संशोधित किया जाना आवश्यक है एवं न्यायोचित है। वादी पुराने सेटलमेंट के नक्शे के अनुसार मौके पर काबिज है एवं पुराने सेटलमेंट की आराजी नं 505 किस्म रास्ता के पास में वादी का कुआ भी स्थित है। लेकिन सेटलमेंट के दौरान नवीन सेटलमेंट में वादी का कुआ भी नही दर्शाया गया है। इसलिये पुराने सेटलमेंट के अनुसार नवीन सेटलमेंट के नक्शे में कुआ भी दर्शाया जाना आवश्यक है। वादी ने उक्त संशोधन हेतु तहसीलदार साहब को कई बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए परन्तु कोई कार्यवाही नही हुई। तत्पश्चात अधिवक्ता के जरिये अन्तर्गत धारा 80 जा.दी. के अन्तर्गत प्रतिवादीगण को दिनांक 18.01.2023 को दो माह की अवधि का पंजिकृत सूचना पत्र भी दिया गया। वाद कारण दिनांक 18.01.2023 को प्रतिवादीगण को नोटिस दिए जाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नही होने से वाद पैदा होकर हर रोज जारी है।

अन्त में वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम गिलुण्ड के नवीन सेटलमेंट के आराजी नं 911 व 912 को पुराने सेटलमेंट के आराजी नं 504/1 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा के पुराने सेटलमेंट के नक्शे अनुसार आराजी नं 505 किस्म रास्ते तक नवीन नक्शे में संशोधन कर इन्द्राज दुरुरस्ती की जाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार ने उपस्थिति देकर जवाब दावा पेश किया की मेवाड भू-प्रबन्ध सम्वत 1986 में आराजी नम्बर 504 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा बिलानाम सरकार दर्ज था। जिसमें से 504/1 रकबा 3 बीघा 10 बीस्वा भूमि भंवरलाल भवाना पिता बालू ढोली के नाम दर्ज होकर जरिये विक्रय नामा. 844 दिनांक 14.08.75 से वादी हरिराम पिता कूका डांगी बेचान दर्ज हुई उक्त बेचान राज.टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान के विपरित (एस.सी की भूमि को सामान्य वर्ग के व्यक्ति को बेचान) हुआ है। अतः नामा. 844 निरस्त किया

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी)

1. हरिराम पिता कुका डांगी नि.मायरा तह.व जिला चित्तौडगढ

-वादी

बनाम

1. श्री राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर चित्तौडगढ

2. श्री भूमिधारी श्री मान् तहसीलदार चित्तौडगढ

-प्रतिवादीगण

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण संख्या : 122/2023 (2023/360)

वादी की ओर से वकील श्री दिलीप जैन एवं पैरोकार सरकार की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है की वादी का वाद पत्र पर प्रमाणित नहीं पाया जाने से खारीज किया जाता है।

यह आज दिनांक 05.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।